संख्या-13/2018/234/38-6-18-11(एसआरएलएम)/2018

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक-31 मई, 2018

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान सं0-83(एससीपी मद) में अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-852/1096/आजीविका /लेखा/2018-19, दि0-09.05.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास म्ंालय, भारत सरकार के पत्रांक-जे-12036/01/2018-आरएल(एनआरएलएम-1बी), दि0-18.04.2018 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत(एनआरएलएम) अनुदान सं0-83 अनुसूचित जाति मद में केन्द्रांश की प्रथम किश्त रू0-7354.43 लाख अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 60 प्रतिशत तथा राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गई है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु एससीपी मद अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत रू0-400.00 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है।

2- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के उक्त आदेश दि0-18.04.2018 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु एनआरएलएम के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 अनुसूचित जाति मद में अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त 0-7354.43 लाख एवं इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0-4902.95 लाख कुल धनराशि रू0-12257.38 लाख(रूपये एक सौ बाइस करोड सत्तावन लाख अडतीस हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि एनआरएलएम/एसआरएलम की नियमावली/भारत सरकार की शर्तों के अनुसार रक्षित की जायेगी तथा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ब्याज की धनराशि विनियमित की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/कार्यों हेतु किया जायेगा जिस मद/कार्य हेतु वस्तुत: अवमुक्त की जा रही है। प्रश्नगत धनराशिञ अनुसूचित जाति मद में ही व्यय/उपयोग की जाएगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एनआरएलएम/एनआरएलपी के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। इस संबंध में वित्तीय नियमों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://srlmmadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाएगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है उसे 31 मार्च 2019 तक समर्पित कर दिया जाए।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण/व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30-03-2018 में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) आयुक्त ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक यूपीएसआरएलएम समयान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु राज्य सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनांए-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-643./दस-18, दि0-31.05.2018 में प्राप्त उनकी सहमति तथा समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ के शासनादेश दि0-27.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-13/2018/232(1)/38-6-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in